Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 1, Jan-Feb – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 23/01/2020 Accepted on : 12/02/2020 Publication Date: 28/02/2020

"किशोरियों के सशक्तिकरण में राज्य सरकार की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"

[1]वेदांगी भट्ट,
[1]शोधार्थिनी (शिक्षाशास्त्र),
[1]शिक्षा–विभाग,
E-mail : vidhi8.av@gmail.com

[2]डॉ. डी. एस. गड़िया,
[2]ऐसोसिऐट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष,
[2]शिक्षा–विभाग,
E-mail : dalbeer.garia@hzu.edu.in

हिमगिरी ज़ी विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड

शोधपत्रसारः

सशक्तिकरण किसी भी महिलाओं/किशोरियों की वह क्षमता है जिससे वे शक्तिशाली बनती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। किशोरियां समाज के भविष्य की नारी है, समाज में उनकें वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिए लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की आवश्यकता है। हमारे देश में उच्च स्तर की लैंगिग असमानता है जहां किशोरियों को अपने परिवार और समाज में बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ता है। भारत में निरक्षरों की संख्या में महिलाएं सबसे ज्यादा है। महिला सशक्तिकरण शब्द तब सार्थक होगा जब सभी किशोरियों/महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी जायेगी कि वे प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले करें।

भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देन के लिए मां, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में देवियों को पूजने की परम्परा है लेकिन सिर्फ पूजन से महिला और देश का विकास सम्भव नही है। आज आवश्यक है कि देश की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त किया जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कार्य योजनाएं चलाई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए व लागू किये गये है। महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए अनेक स्वयं–सेवी समूह और एनजीओ आदि इस दिशा में कार्य कर रहे है।

शब्द कंजी :– किशोरियां, सशक्तिकरण, अपराध, असमानता, योजनाएं।

1. प्रस्तावना :

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे महिलाएं एवं किशोरियां अपने जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त कर अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करती है। आज भी कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में माता–पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी के कारण कम उम्र में किशोरियों का विवाह कर दिया जाता है। जिस कारण किशोरियों का भविष्य दांव पर लग जाता है और वे उम्र भर परिवार व बच्चों के बीच में फंस कर रह जाती है। किशोरियों को सशक्त करने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार देना और उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना अभिभावकों का कर्तव्य होना चाहिए। जिससे वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सके।

भारतीय संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों तथा निर्देशक सिद्धांत में यथा–निहित अनुसार सभी लोगों को समान अधिकार देता है। भारत में महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने और कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। फिर भी हम पुरूष सशक्तिकरण के बजाए केवल महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे है। महिलाओं को क्यों सशक्त होने की आवश्यकता है, पुरूषों को क्यों नही ? भारत की आबादी में महिलाओं का अनुपात 49 प्रतिशत है, फिर भी वे अनेक सामाजिक संकेतकों जैसे–स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक

अवसर आदि में पुरूषों से पीछे है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक समाज के लिए महिलाओं के साथ होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, हिंसा, कुरीतियां और प्रथाएं आदर्श बन गई है। जैसे– दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, कार्यस्थल पर शोषण आदि अनेक प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार घृणित सोच के समाज में व्याप्त है।

"देश की तरक्की के लिए हमें पहले भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा"।

–नरेंद्र मोदी

महिलाओं का विकास सर्वोपरि महत्व का है और समग्र विकास के लिए निर्धारित है। 1985 के बाद से यहां महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित मामलों पर गौर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में कार्य करने के लिए महिला एवं बाल विकास नाम से एक अलग विभाग बनाया है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास के लिए एक अलग मंत्रालय 30 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया। इस मंत्रालय का लक्ष्य महिलाओं को गरिमा के साथ जीने के लिए, हिंसा से मुक्त वातावरण में देश के विकास की दिशा में समान रूप में योगदान करने हेतू सशक्त बनाने के लिए, और शोषण से मुक्त वातावरण में उनके विकास और वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करना है।

2. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन :

भूनिया अविशेक (फरवरी 2018)–"शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरणः भारत और पश्चिम बंगाल का एक तुलनात्मक अध्ययन"–यदि आप किसी व्यक्ति को शिक्षित करते है तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते है और यदि आप किसी महिला को शिक्षित करते है तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते है।

कौशिकभाई जोशी प्रणाली (2018) "ग्रामीण और शहरी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका"– इस शोध अध्ययन में ग्रामीण और शहरी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है का विश्लेषण किया गया है।

कुमार मनोज (2019) "तेलगांना राज्य के चयनित जिलों में जीवन स्तर के गरीबी उन्मूलन और महिलाओं के सशक्तिकरण पर सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का प्रभाव"– इस अध्ययन के उद्देश्य भागीदारी परिवारों के मध्य आय, आय असमानता और गरीबी उन्मूलन पर सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के प्रभाव की जांच करना , रोजगार के अवसर पैदा करने में सूक्ष्म

अर्थव्यवस्था के प्रभाव का अध्ययन और कार्यक्रम की समस्या व संभावनाओं का विश्लेषण करना, महिला प्रतिभागियों को सशक्त बनाने में सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की भूमिका का आकलन, कार्यक्रम के प्रतिभागियों की आय, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर स्वयं सहायता समूह की परिपक्वता के प्रभाव का पता लगाना।

गर्ग राकेश (2018) "नारीवादी पहचान, कथित सुरक्षा, शैक्षिक और रोजगार की स्थिति के सम्बन्ध में महिला सशक्तिकरण"– इस शोध के अर्न्तगत कामकाजी और गैर–कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण के मध्य अन्तर का अध्ययन किया गया है।

3. अध्ययन के उद्देश्य :

1. 13 से 18 वर्ष तक की किशोरियों के सशक्तिकरण के स्तर को जानना।
2. किशोरियों के सशक्तिकरण में राज्य सरकार की भूमिका को जानना

4. अध्ययन की अवधारणायें :

1. 13 से 18 वर्ष तक की किशोरियों में सशक्तिकरण का अभाव प्रतीत होता है।
2. किशोरियों के सशक्तिकरण में राज्य सरकार की भूमिका सक्रिय नही है।

5. शोध की कार्यप्रणाली :

प्रस्तुत शोध–कार्य में उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जनपद के विविध प्रकृति के ग्रामीण क्षेत्रों की "13 से 18 वर्ष की किशोरियों के सशक्तिकरण और राज्य सरकार की भूमिका" को जानने तथा इसकी अद्यतन स्थिति का विश्लेषण करके प्रभावी कारकों का पता लगाने का प्रयास किया गया है। इस तरह प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक शोध अध्ययन है।

6. किशोरियों के सशक्तिकरण का स्तर :

प्रस्तुत शोध पत्र उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जनपद में स्थित 6 विकासखण्डों के कुल 748 ग्रामों से 2 विकासखण्ड के 4 प्रतिशत गांवो (30 गांव) की 13–18 वर्ष की 450 किशोरियां के सशक्तिकरण स्तर से सम्बन्धित है। किशोरियों का चयन उनकी (13 से 18) आयु के आधार पर किया गया है। शोध अध्ययन के अनुसार किशोरियों के सशक्तिकरण का स्तर इस प्रकार है–

Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 1, Jan-Feb – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 23/01/2020 Accepted on : 12/02/2020 Publication Date: 28/02/2020

न्यादर्शित 13 से 18 वर्ष तक की किशोरियों के सम्पूर्ण प्राप्तांको के आधार पर सशक्तिकरण स्तर का प्रतिशत
तालिका–1

स्तर	कुल छात्राएं	स्तरानुसार छात्राएं	प्रतिशत
उच्च	450	217	48.22
मध्यम		233	51.77
निम्न		0	0

आरेख–1
न्यादर्शित 13 से 18 वर्ष तक की किशोरियों के सम्पूर्ण प्राप्तांको के आधार पर सशक्तिकरण का स्तरानुसार आरेखीय प्रदर्शन

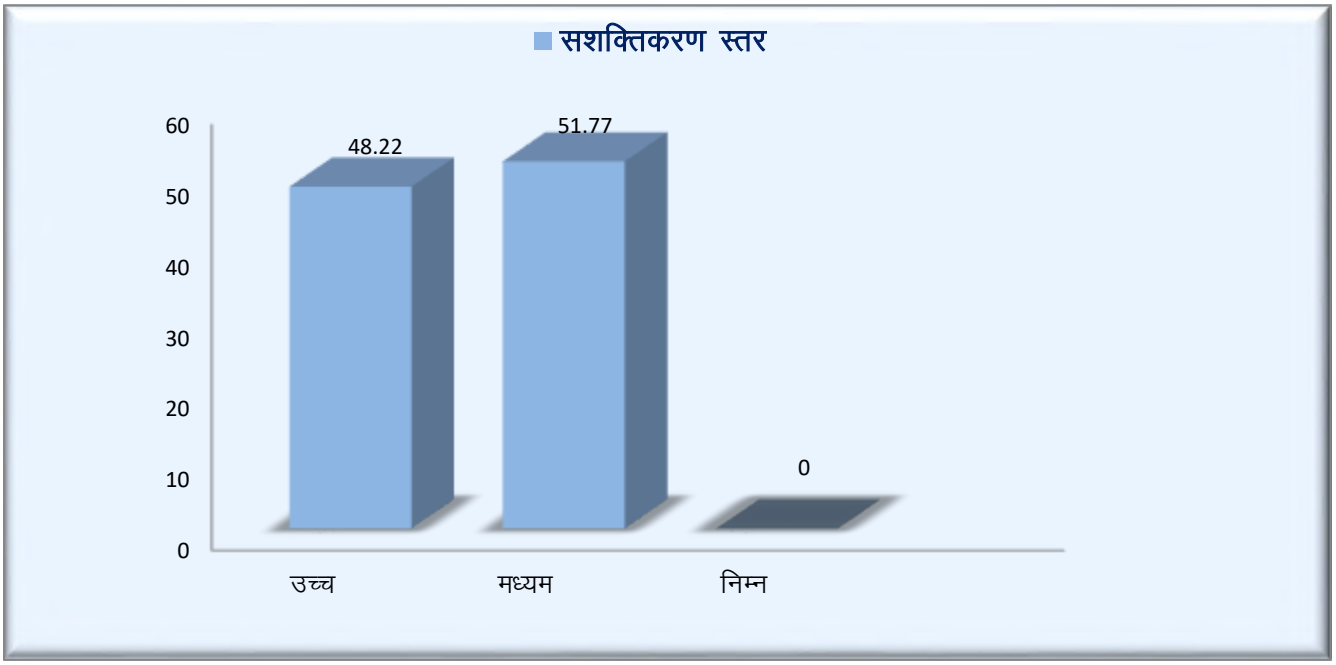

उक्त तालिका और आरेख द्वारा यह स्पष्ट होता है कि सभी न्यादर्शित 13 से 18 वर्ष तक की किशोरियों के सम्पूर्ण प्राप्तांको के आधार पर सशक्तिकरण स्तर के प्रतिशत की गणना की गयी है। गणनानुसार 30 गांवों की न्यादर्शित 450 किशोरियों में से 217 का सशक्तिकरण स्तर उच्च पाया गया जो कुल किशोरियों का 48.22 प्रतिशत है और 233 का स्तर मध्यम पाया गया जो 51.77 प्रतिशत है जबकि किशोरियों में निम्न स्तर का सशक्तिकरण शून्य रहा। अतः प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि किशोरियों में उच्च और मध्यम दोनों स्तर का सशक्तिकरण पाया गया। अर्थात् प्रथम अवधारणा कि **"13 से 18 वर्ष तक की किशोरियों में सशक्तिकरण का अभाव प्रतीत होता है।"** को निरस्त किया जाता है।

30 गांवों की 13 से 18 वर्ष तक की न्यादर्शित किशोरियों के प्रत्येक क्षेत्र का कुल प्राप्तांक
तालिका–2

क्रम सं0	क्षेत्र	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व	11998	76.17
2	स्वायत्ता एवं आत्म विश्वास/ आत्मनिर्भरता	11199	71.10
3	निर्णय प्रक्रिया	10882	69.09
4	भागीदारी	10876	69.05
5	क्षमता विकास	11118	70.59
6	समाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता	10839	68.81
7	सूचना माध्यमों की उपयोगिता	10750	68.21

30 गांवों की 13 से 18 वर्ष तक की न्यादर्शित किशोरियों के प्रत्येक क्षेत्र का कुल प्राप्तांकों का आरेख

आरेख–4.32

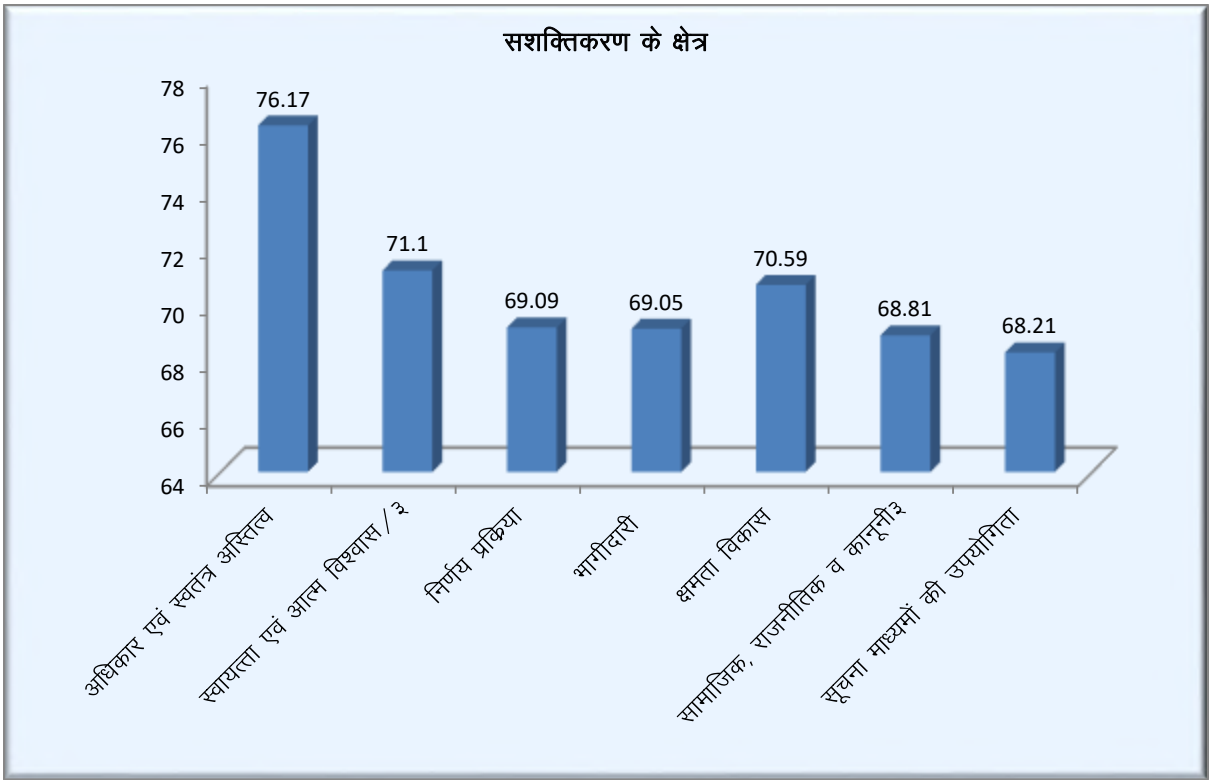

उक्त तालिका और आरेख में 13 से 18 वर्ष तक की सम्पूर्ण न्यादर्शित किशोरियों के सभी क्षेत्रों का अलग–अलग विश्लेषण करके प्राप्तांकों का प्रतिशत निकाला गया और सातों क्षेत्रों में किशोरियों का प्रदर्शन अलग–अलग रहा। प्रथम क्षेत्र अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व में 76.17 %, द्वितीय क्षेत्र स्वायत्ता एवं आत्म विश्वास/ आत्मनिर्भरता में 71.10 %, क्षेत्र तृतीय निर्णय प्रक्रिया में 69.09 %, चतुर्थ क्षेत्र भागीदारी में 69.05 %, क्षेत्र पंचम क्षमता विकास में 70.59 %, षष्ठम क्षेत्र समाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता में 68.81 % और क्षेत्र सप्तम सूचना माध्यमों की उपयोगिता में 68.25 % है। जिससे स्पष्ट होता है कि किशोरियों का कुछ क्षेत्रों में सशक्तिकरण का स्तर उच्च व कुछ क्षेत्रों में औसत है। अतः क्षेत्रों के आकड़ों के आधार पर भी यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रथम अवधारणा **"13 से 18 वर्ष तक की किशोरियों में सशक्तिकरण का अभाव प्रतीत होता है।"** को निरस्त किया जाता है।

7. किशोरियों के सशक्तिकरण में केन्द्र और राज्य सरकार की भूमिका :

सरकार द्वारा महिला और किशोरियों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी योजना सम्पूर्ण देश में मान्य होती है। इसके अलावा राज्य सरकार भी कई नई योजनाएं बनाती है जो राज्य के हित में होती है जिससे लाभार्थी लाभ उठा सके। सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं बनाई है चाहे वह उनकी निः शुल्क शिक्षा से, सुरक्षा से, व्यवसाय, आदि से सम्बन्धित हो या उन्हें शिक्षा हेतू संसाधन मुहैया कराने जैसे–साइकिल, कम्प्युटर, छात्रवृत्ति आदि हो। सरकार द्वारा संचालित किशोरियों से सम्बन्धित कुछ मुख्य योजनाएं निम्न है–

1. [1]नंदा–गौरा देवी कन्याधन योजना
2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
3. सबला व किशोरी शक्ति योजना
4. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना
5. किशोरी शक्ति योजना
6. सुकन्या समृद्धि योजना
7. किशोरी योजना

[1] . www.wecd.uk.gov.in

8. मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना
9. उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना
10. वन स्टॉप सेंटर
11. महिला समाख्या योजना
12. तीलू रौतेली पुरस्कार
13. निर्भया योजना
14. निर्भया फण्ड
15. छात्रवृत्ति योजना
16. स्वधार गृह योजना
17. किशोरी बालिकाओं हेतू सैनेटरी नैपकिन व्यवस्था "स्पर्श"
18. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थय कार्यक्रम

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचारित अन्य योजनाए और कार्य भी है जैसे :–उज्जवला योजना, Adolescence Education Programme, वर्किंग वूमेन हॉस्टल, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष, राष्ट्रीय पोषण मिशन, अन्नप्राशन योजना आदि। इसके अतिरिक्त महिलाओं से सम्बन्धित कानून भी है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गये है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, महिला आयोग, समाज कल्याण विभाग, आंगनबाड़ी केन्द्रों और एनजीओं द्वारा सभी योजनाएं संचारित की जाती है तथा महिलाओं से सम्बन्धित अपराध, घरेलू हिंसा और शिकायतों का निवारण कानून के अनुसार विभाग द्वारा किया जाता है। इन सब का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से निपुण करना, हिंसा से बचाव, सुरक्षा और परामर्श प्रदान करना है, जिससे वे आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त हो सके।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त महिलाओं/किशोरियों से सम्बन्धित मामलें भी है जिनका निवारण महिला सशक्तिकरण और महिला आयोग विभाग द्वारा किया जाता है, जो निम्न प्रकार है–

तालिका–3

[2]RESOLVED & PENDING CASES TILL JUNE -2019				
S.NO	**CASE TYPE**	**TOTAL**	**RESOLVED CASES (Feb 2016 To June 2019)**	**PENDING CASES (Feb 2016 TO June 2019)**
1	Domestic Violence	715	582	133
2	Rape	6	2	4
3	Sexual Harrasment	44	40	4
4	Acid Attack	3	3	0
5	Women trafficking	1	1	0
6	Child Sexual Abuse	17	13	4
7	Child Marriage	3	2	1
8	Missing /Kidnaping	50	44	6
9	Cyber Crime	303	286	17
10	Dowry Harrasment	113	94	19
11	Any Other Crime	374	337	37
12	Scheme Related	146	145	1
13	Advice & information	634	610	24
14	**TOTAL**	**2409**	**2159**	**250**
15	**PERCENTAGE**	**-**	**89.62**	**10.37**

[2]. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड

उपरोक्त तालिका–3 के विश्लेषण और आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि 2016 से लेकर जून 2019 तक महिलाओं/किशोरियों के 2409 मामलें दर्ज किये गये है जिनमें से 89.62 (2159) प्रतिशत मामलों को विभाग द्वारा हल किया जा चुका है और मात्र 10.37 (250) प्रतिशत मामले शेष है। सरकार द्वारा किशोरियों और महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं लागू की गयी है और उनकें संरक्षण के लिए विभागों का गठन किया गया है जिनका उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सशक्तिकरण और संरक्षण करना है। अतः कहा जा सकता है कि राज्य व केन्द्र सरकार किशोरियों के साथ–साथ महिलाओं के सशक्तिकरण और परामर्श में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। इसलिए द्वितीय अवधारणा **"किशोरियों के सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका सक्रिय नहीं है।"** को अस्वीकार किया जाता है।

8. निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध अध्ययन करने के पश्चात् शोधार्थिनी ने पाया कि–

1. शिक्षा किशोरियों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज 50 से 60 प्रतिशत किशोरियां जागरूक है उन्हें अपने आस पास के वातावरण का ज्ञान है, परन्तु अभी किशोरियां पूर्ण रूप से सशक्त नही है।
2. अभिभावकों का सकारात्मक व्यवहार किशोरियों के व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव डालता है और किशोरियों को अवसाद की स्थिति से बचाता है।
3. किशोरियों के सशक्तिकरण में स्थानीय परिवेश का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
4. कुछ ग्रामीण किशोरियों के रहन–सहन, खानपान, शिक्षा आदि में संसाधनों का अभाव पाया गया तथा कई ऐसी स्थिति भी पायी गयी जिससे किशोरियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
5. पारिवारिक स्थिति और माता–पिता के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद किशोरियों पर प्रभाव डालता है।
6. किशोरियों को सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों, महिला कानून और सूचना माध्यमों की उपयोगिता के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है।
7. सरकार द्वारा संचारित योजनाएं किशोरियों को शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति से सशक्त कर रही है और उन्हें अपने व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है।
8. अधिकांश किशोरियों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे–राजनीति, महिला कानून, सामाजिक मुद्दों आदि में जागरूकता का अभाव पाया गया।
9. अधिकांश किशोरियों में सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी का अभाव पाया गया।

9. सुझाव :

9.1 किशोरियों हेतु सुझाव :–

1. किशोरियों को विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में भाग लेना चाहिए जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके।
2. समाचार पत्रों, मैग्जीन, समसमायिकी, प्रेरणादायक किताबों का किशोरियों को अध्ययन करके अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना चाहिए।
3. किशोरियों को अपने ज्ञान में वृद्वि करने और आस–पास के वातावरण के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है।
4. किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए किशोरियों को अपने माता–पिता से सहयोग लेना चाहिए और उनके द्वारा दिए गये सुझावों व मार्गदर्शन को प्राप्त कर अपना सही निर्णय लेना चाहिए।
5. किशोरियों को अपनी क्षमताओं व योग्यता को पहचानकर अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए।
6. किशोरियों को महिलाओं से सम्बन्धित कानून और अपराधों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
7. सभी किशोरियों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा अपने भावी भविष्य का निर्माण करना चाहिए। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या नही।

9.2 सरकार हेतु सुझाव :–

1. सरकार द्वारा संचारित सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्रों, एनजीओ आदि के माध्यम से दी जानी चाहिए। जिससे सभी किशोरियां और उनकें अभिभावक सभी योजनाओं से अवगत हो सके।
2. सरकार को समय–समय पर किशोरियों को उनकें अधिकारों, महिला कानून और अपराधों के प्रति जागरूक करना चाहिए।
3. संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक व अन्य सामाजिक गतिविधियों द्वारा समाज को किशोरियों की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
5. किशोरियों में अपने अधिकारों की जानकारी का अभाव है जिस कारण वे अनेक प्रकार के शोषण का शिकार होती रहती है। अतः सरकार को चाहिए कि विद्यालय, आंगनबाड़ी और सामाजिक व सार्वजनिक मंच द्वारा किशोरियों और समाज को जागरूक करे।
6. सरकार द्वारा किशोरियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाना चाहिए और उनकी योग्यता व क्षमताओं के अनुसार रोजगार दिये जाये जिससे किशोरियां आत्मनिर्भर और सशक्त हो सके।
7. सरकार द्वारा किशोरियों को जूड़ों कराटे का निः शुल्क प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे किसी अपराधिक परिस्थिति में आत्मरक्षण कर सकें।
8. गरीबी रेखा वाली सभी किशोरियों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाए जिससे उनका शारीरिक व मानसिक विकास हो सके।
9. आर्थिक तंगी के कारण कुछ योग्य किशोरियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। अतः सरकार को उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए।
10. प्रत्येक क्षेत्र में कुछ सीटें उन किशोरियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए जो कुछ करना चाहती है परन्तु अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण नही कर पाती है। सरकार को चाहिए कि उनकें लिए निः शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए क्योकि शिक्षा ही एकमात्र वह साधन है जिससें किशोरियों को सशक्त कर उनका भविष्य संवारा जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

१ कुमार मनोज (2019) तेलगांना राज्य के चयनित जिलों में जीवन स्तर के गरीबी उन्मूलन और महिलाओं के सशक्तिकरण पर सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का प्रभाव, तेलगांना

२ भूनिया अविशेक (फरवरी 2018) "शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरणः भारत और पश्चिम बंगाल का तुलनात्मक अध्ययन" Asian Journal of Research in S. Science and Humanities Vol. 8 Issue: 2 Pages: 82-92. ISSN: 2249-7315 एस.बी.एस.एस. महाविद्यालय, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल

३ शादिती नसीम (2018) "पंजाब में स्वयं सहायता समूह (SHGS) के विशेष संदर्भ वाली महिलाओं के सशक्तिकरण में सूक्ष्म ऋण की भूमिका", पंजाब युनिवर्सिटी, चण्ड़ीगढ़ पाठक प्राची (मई 2018) "भारत में महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह" Asian Journal of Research in S. Science and Humanities Vol. 8 Issue: 5 Pages: 15-20. ISSN: 2249-731 दून विश्वविद्यालय, देहरादून उत्तराखण्ड

४ "Annual Report 2017-18" Ministry of Women and Child Development Government of India

५ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड

६ मन्जू माण्डाल "स्वयं सहायता समूह द्वारा महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकार और कानून" हिमांशु पब्लिकेशन 2015

७ किरण वडेहरा और जॉर्ज कोरेथ "ग्रामीण महिला सशक्तिकरणः उपलब्धि अभिप्रेरणा के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम" SAGE Publishing India, 2017

८ वंदना सक्सेना "महिला सशक्तिकरण" आर्यन पब्लिकेशन , 2018ण

९ www.mygov.in,

१० www.wcd.nic.in

११ www.wecd.uk.gov.in

१२ www.jagranjosh.com

१३ www.censusindia.gov.in